PDF Compressor Free Version

एनेक्सर-2

आज दिनांक 21/12/15 को माननीय सरपंच सा० श्री मंजीत कौर .... की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद्, बून्दी के आदेश कमांक 731...... दिनांक 19/11/15 एवं श्रीमान् कार्यक्रम अधिकारी महोदय, पंचायत समिति तालेड़ा, जिला-बून्दी (राज०) के आदेश कमांक .... दिनांक .... के अनुसार किया जा रहा है।

प्रस्ताव सं० :- सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लक्ष्मीपुरा से बून्दी सड़क किमी० 7/550 से 9/470 में सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाता है तो इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। यह निर्णय सर्वसम्पति से लिया गया।

मंजीत कौर
सरपंच
ग्राम पंचायत ......नगर
पं. स. ...... जि. बून्दी

PDF Compressor Free Version

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 22/12/15 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

उपखण्ड अधिकारी ने समिति को बताया कि लक्ष्मीपुरा से बून्दी सड़क किमी0 7/550 से 9/470 तक सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य प्रस्तावित 1.92 है0 (वन भूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत् उपखण्ड तालेड़ा के स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

वन भूमि आयोजन के प्रस्ताव के संबंध में ग्राम पंचायत अल्फानगर द्वारा वन अधिकार अधिनियम की बैठक 21/12/15 को आयोजित की जा चुकी है। समस्त ग्रामवासी एवं वन अधिकार समिति द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई। इस हेतु वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत अल्फानगर की बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया साथ ही ग्राम पंचायत अल्फानगर द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ हेतु दिनांक 21/12/15 को जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः बैठक कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त हुई।

बैठक कार्यवाही में उपस्थित विवरण :-

SDM तालेड़ा .— [signature] 22/12/15

उप खण्ड अधिकारी
तालेड़ा

PDF Compressor Free Version

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 11.01.2016 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे जिला स्तरीय समिति बून्दी की बैठक इस कार्यालय के पत्र संख्या माडा/वनअधिनियम/2015–16/653 दिनांक 09.09.2015 के क्रम मे आयोजित की गई। बैठक मे अद्योलिखित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

क.सं.	नाम सदस्यगण
1	उपवन संरक्षक, बून्दी
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी
3	श्री मुरली प्रसाद मीणा, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 12
4	श्री महेश कुमार, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 14
5	श्रीमती प्रसन्न मीणा जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 19

बैठक मे प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत स्वीकृत सडक लक्ष्मीपुरा से बून्दी किलोमीटर 0–0 से 10–0 तक वाईन्डिंग किये जाने हेतु 7/550 से 9/470 तक 1.92 हैक्टर वन भूमि के जनहित मे व्यपवर्तन करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को जारी करने के संबंध मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत विचार किया गया।

ग्राम अल्फानगर की 1.92 हैक्टर वन भूमि हेतु कोई दावा जिला स्तरीय समिति, बून्दी के समक्ष विचाराधीन नही है। इस क्रम मे दिनांक 22.12.2015 को उपखण्ड अधिकारी तालेडा की अध्यक्षता मे भी वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसका कार्यवाही विवरण भी इस बैठक मे प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय समिति, तालेडा द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सहमति एवं अनुशंषा की गई है। अतः जिला स्तरीय समिति ग्राम अल्फानगर (पंस. तालेडा) की 1.92 हैक्टर वन भूमि को लक्ष्मीपुरा से बून्दी किलोमीटर 0–0 से 10–0 तक वाईन्डिंग किये जाने हेतु 7/550 से 9/470 तक सडक कार्य हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

Sd/-
(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0)

क्रमांक:– 801
प्रतिलिपि श्री ....सदस्यगण

दिनांक :– 11.1.2016

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0)

PDF Compressor Free Version
FRA

FRA

FORM-I
(For linear projects)
Government of Rajasthan

No.:-

Office of the District Collector, Bundi

Dated:- .01.2016

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwelleers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that 1.92 hectare of forest land proposed to be diverted in fovour of Executive Engineer P.W.D. Division Bundi for Upgradation of esisting BT Road Laxmipura to Bundi (Forest area length Km. 7/550 to 9/470) (purpose for diversion of forest land) in Bundi District in the State of Rajasthan falls within jurisdiction of Villages in Gram Panchayat Alfa Nagar village(s) in Talera tehisil.

It is further certified that

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.92 hectares of forest Area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups ad Pre agricultural communities.

Encl: as above

(Neha Giri)
District Collector
Bundi (Raj.)

PDF Compressor Free Version

कार्यालय जिला परिषद, बून्दी

(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

क्रमांकः– माडा(   )/वन अधिनियम/2014–15/ 802   दिनांकः– 11 .01.2016

प्रभारी अधिकारी, राजस्व
कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

विषयः–प्रधान मंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत लक्ष्मीपुरा से बून्दी तक सडक निर्माण हेतु 1.92 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यार्वतन के संबंध मे वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

संदर्भः–आपक पत्र संख्या प 08–5(44)राजस्व/2008/5694 दिनांक 23.10.2015 एवं पत्र संख्या 6328 दिनांक 03.12.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रो का अवलोकन करे जिसके द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत सड़क लक्ष्मीपुरा से बून्दी किलोमीटर 0–0 से 10–0 तक वाईन्डिग किये जाने हेतु 7/550 से 9/470 तक 1.92 हैक्टर वन भूमि के जनहित मे व्यपवर्तन करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति के अनुशंषा भिजवाने हेतु लिखा गया है। पत्र के साथ ग्राम पंचायत अल्फानगर की बैठक का कार्यवाही विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, उपखण्ड स्तरीय समिति तालेडा की दिनांक 22.12.2015 को आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण एवं दिनांक 11.01.2016 को जिला स्तरीय समिति के बैठक कार्यवाही विवरण की मूल प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न : मूल प्रतियां।

भवदीय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,बून्दी

PDF Compressor Free Version

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप समिति ....अल्फानगर........ पंचायत समिति ..तालेड़ा......... जिला–बून्दी

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
21/12/18	पंचायत भवन	मंजीत कौर	कालु लाल, छोटी बाई, रामकैलाश, लोकेश, मान कंवर, फूलाबाई, जगदीश मीणा	वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत प्रस्ताव सं0 1 आज दिनांक 21/12/18 को ग्राम पंचायत अल्फानगर के पंचायत भवन में वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सरपंच साहब ....मंजीत कौर.... द्वारा की गयी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जिसमें लक्ष्मीपुरा से बून्दी सड़क किमी0 7/550 से 9/470 तक जिसमें सुदृढ़ीकरण कार्य में ग्रामवासी एवं समिति को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव का सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। अन्त में पधारे हुये सभी सदस्यों का अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद देकर बैठक समाप्त की घोषणा की गई।	

मंजीत कौर

ओमप्रकाश
ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्रा. प. अल्फानगर
पं. स. तालेड़ा जि. बून्दी

PDF Compressor Free Version

कार्यालय ग्राम पंचायत, अल्फानगर

पंचायत समिति तालेड़ा, जिला–बून्दी (राज0)

दिनांक :- 21/12/15

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अल्फानगर के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लक्ष्मीपुरा से बून्दी सड़क किमी0 7/550 से 9/470 तक सुदृढ़ीकरण का कार्य करने में ग्राम पंचायत अल्फानगर को कोई आपत्ति नहीं है। जिसका ग्राम पंचायत कोरम द्वारा ग्रामसभा दिनांक 21/12/15 के प्रस्ताव सं0 ....1...... में प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया जा चुका है।

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्रा. प. अल्फानगर
प. स. तालेड़ा जि. बून्दी

संजीत कौर